Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

गुलाबचंद बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा – दीवानी इजराय नम्बर 113 सन् 2009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03-09-2025	वकील डिक्रीदार उपस्थित। मदयून की ओर से पी.पी. उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते इजराय की पालना कराये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया, जिसका विपरीत पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रार्थना पत्र पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित असल जो पेश किया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि दान–पत्र प्रदर्श 3 दिनांक 22–01–1971 में वर्णित शर्तों से प्रतिवादी सं. 1 व 2 पाबंदित थे और उन शर्तों की पालना करने के लिये उत्तरदाई थे, परन्तु प्रतिवादी सं. । व 2 द्वारा दान–पत्र की शर्तों की कोई पालना नहीं की गई। दान–पत्र की शर्त संख्या 4 के मुताबिक वादग्रस्त भवन की भूमि का मूल्यांकन बाजार कीमत से करवा कर वादी से भूमि का मूल्य प्राप्त कर वादग्रस्त भवन को वापस वादी ट्रस्ट को रिवर्ट कर देगें, यदि वादी उक्त प्रकरण निर्धारित मूल्य देने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में भवन के एवज में दान–पत्र की शर्तों के मुताबिक क्षतिपूर्ति की राशि का आंकलन करवाकर प्रतिवादी सं. 1 से 2 से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रार्थी द्वारा शर्त सं. 4 के मुताबिक डिक्री की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया, क्योंकि दान–पत्र की शर्त की पालना विपरीत पक्ष द्वारा नहीं की गई है। इस संबंध में विपरीत पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया, परन्तु मौखिक रूप से यह निवेदन किया गया कि पूर्व में संबंधित पक्ष द्वारा पत्रावली पर रिपोर्ट पेश की गई है, उक्त रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जावें। मुताबिक रिपोर्ट मदयून पक्ष द्वारा दान–पत्र की समस्त शर्ते 1,2 व 3 की पूर्ण रूप से पालना कर दी गई हों, इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है। शर्त संख्या 4 की पालना कराये जाने से पूर्व अंतिम मौका मदयून पक्ष को इस बाबत दिया जाता है कि वे उक्त मामले में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से एकत्रित करवाई जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तथा दानपत्र दिनांकित 22–01–1971 की शर्त संख्या 1 लगायत 3 की पालना उनके द्वारा की गई या नहीं की गई और की गई तो किसी प्रकार से की गई, इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं या स्वयं के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर	

Noted 4.9.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 1
अजमेर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —2—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते पेश होने वर्तमान रिपोर्ट हेतु दिनांक 12.09.2025 को पेश हों। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 1 अजमेर (राज.)	